



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
R 251-PB-17

ज्ञान सिंह पिता स्व. श्री करण सिंह
राजपूत निवासी ग्राम अलवासा तहसील
हातोद जिला इन्दौर (म0प्र0) व अन्य 2

आवेदकगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हतोद के
राजस्व प्रकरण क्रमांक 50/अपील/2014-15 पारित निर्णय दिनांक 16.09.2015
तथा अनुविभागीय अधिकारी सावेर के प्रकरण क्रमांक
17/ए-90-बी-3/78-79 पारित निर्णय दिनांक 27.05.1982 भूमि
ग्राम पूवार्डाजुनार्दा।



श्री राम बदन पाठे मामा
द्वारा आज दि 18-1-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 25/-पीबीआर/2017 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
10-01-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह तथा अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह तोमर उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 28-2-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> AS</p> <p> अध्यक्ष</p>	